1.1.96 से प्रतिमाह 780/- रु० से लेकर 1365/- रु० के बीच है, जो उनके कार्यभार पर निर्भर करती है।

ऊपर दर्शाए गए भत्तों के अलावा, अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट निम्नलिखित अतिरिक्त भत्ते पाने के भी हकदार हैं:—

(i) मंहगाई भत्ताः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू दरों के समतुल्य।

(ii) 2/-रु० प्रतिमाह की दर से नियत स्टेशनरी प्रभार।

(iii) जहां लागू होता है, 30/- रु० प्रतिमाह की दर से साइकिल मेंटिनेन्स अलाउंस।

(iv) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को उनकी वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर वर्ष में एक बार उतने ही दिनों के अनुग्रह बोनस का भुगतान किया जाता है, जितने दिनों का विभागीय कर्मचारियों को किया जाता है।

(v) **उत्तराखंड डिवीजन भत्ताः**
उत्तराखंड डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में 40/- रु० प्रतिवर्ष अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है बशर्ते कि उन्होंने उस वर्ष मार्च माह से अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर लगातार कार्य किया हो।

(vi) **सामूहिक बीमा योजना**
अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1.4.92 से सामूहिक बीमा योजना में शामिल किया गया है। 1.4.1992 से पहले नियुक्त हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की इस योजना में भागेदारी ऐच्छिक है तथा 1.4.92 को अथवा इसके बाद नियुक्त हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए यह अनिवार्य है। इस योजना में 10/-रु० प्रतिमाह भुगतान करने पर 10,000/- रु० के रिस्क कवर की सुविधा दी जाती है। इनमें से 3.50 रु० इंश्योरेंस कवर के तौर पर लिए जाते हैं और 6.50 रु० सेविंग्स कम्पोनेंट के रूप में होते हैं। यदि कोई अतिरिक्त विभागीय एजेंट सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा नौकरी छोड़ देता है तो उसे जमा हुए सेविंग्स कम्पोनेंट का ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। मृत्यु के मामले में नामित व्यक्ति को 10,000/- रु० तथा संचयित सेविंग्स कम्पोनेंट का भुगतान किया जाता है।

(vii) अनुग्रह-उपवान 6000/- रु० अनुग्रह उपदान के भुगतान के लिए न्यूनतम अपेक्षित अनिवार्य सेवा 10 वर्ष है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कार्य को लेकर डाक वितरण का कार्य कर रहे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में कोई असंतोष नहीं है।

ऐसे अवसर भी आए हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने डाक-वितरण के संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की है। ये शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के वितरण तथा मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब से संबंधित हैं। यह विलम्ब डाक ले जाने वाली बसों, रेलों तथा हवाई जहाजों के रद्द हो जाने/इनके देरी से चलने, बाढ़ और भुस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के वितरण से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनमें राज्य परिवहन प्राधिकारियों, इंडियन एयरलाइन्स, रेलवे तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करना भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के पारेषण और वितरण की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मानीटरिंग की जाती है और जहां कहीं भी कमियां ध्यान में आती हैं, वहां त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

Strike by Telecom Employees

14. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the country wide strike by the Telecom. Employees from November 12, 1997.

(b) if so, what are their demands;

(c) whether any efforts have been made from Government side to settle the issues with the Bhartiya Telecom Employees Federation; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes Sir.

(b) The demands interalia relate to the implementation/modification of the recommendations of the 5th Pay Commission and to the seeking of improvements/ modifications in the restructuring scheme introduced by the Department of Telecom in the year 1990.

(c) Yes Sir. Agreement to withdraw the notice of strike has been signed with three employees Federations including Bhartiya Telecom Employees Federation.

(d) The issues pertained to immediate implementation of certain recommendations of the Fifth Pay Commission, removal of certain anomalies in the pay structure of a few categories of employees and promotional prospects for some cadres employed in new technologies. The Employees Federations were assured that while some of the issues will be settled within the Telecom Commission, others would be taken up at the appropriate levels of the Government.

Telephone Facility to Gram Panchayats in Gujarat

15. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government had fixed any targets to provide telephone facility to Gram Panchayats in Gujarat during the last three years;

(b) if so, the details thereof; year-wise and district-wise;

(c) whether it is a fact that action for achieving these targets is so far very tardy;

(d) if so, the details thereof and reasons for the tardy implementation; and

(e) the action Government propose to take. to accelerate th eachievement of targets for providing telephones to Gram Panchayats in the State?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) There was no target fixed for Gram Panchayats. However, targets were fixed for providing Public Telephones in the Villages.

(b) As per details given in Statement (*See below*).

(c) and (d) There are shortfalls in achievements of targets of 1995-96 & 1996-97 due to non-supply of equipments.

(e) The left-over No. 4202 No. of villages is likely to be provided with a telephone facility by the private basis service operator as per terms of the licence agreement, during 1998-99.

Statement

Circle-wise and District-wise Target and Achievement to provide Telephone facility to Villages in the State of Gujarat

Sl. No.	Name of District	1994-95		1995-96		1996-97	
		Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
1.	Ahmedabad	170	135	40	7	66	4
2.	Gandhinagar	29	29	—	—	—	—
3.	Amreli	186	127	55	24	70	10
4.	Banaskantha	235	89	100	57	400	34
5.	Bharuch	186	141	—	—	300	11
6.	Bhavnagar	445	292	80	15	137	21